भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2025

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

कृषि कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति

†2025.श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जहां कृषिगत भार अधिक है, में घरेलू फीडरों पर बोझ कम करने और किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि फीडरों को घरेलू फीडरों से अलग करने के प्रयास किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल कितने कृषि फीडर चिह्नित किए गए हैं और उन्हें अलग किया गया है;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में परभणी सहित अलग किए गए ऐसे फीडरों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ङ) इन फीडरों को अलग करने की कुल लागत कितनी है और सरकार कृषि गतिविधियों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में फीडर पृथक्करण के लिए संसाधनों को किस प्रकार आवंटित करने की योजना बना रही है; और

(च) उक्त उद्देश्य के लिए चयनित ऐसे क्षेत्रों में विशेषतः दुर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित लोड फीडरों के कृषि और गैर-कृषि फीडरों में पृथक्करण पर जोर दे रही है। यह कुशल भार प्रबंधन में सहायता करेगा, कृषि खपत के लिए आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा और कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को सक्षम करेगा जिससे किसानों को दिन के समय गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में भी मदद करेगा।

वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत और उसके बाद वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, व्यवहार्य मिश्रित लोड फीडरों के पृथक्करण के लिए कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। फीडर पृथक्करण संबंधी कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**अखिल भारत**	**महाराष्ट्र**
1	पृथक्करण के लिए व्यवहार्य 30% से अधिक कृषि भार वाले कुल फीडर	80,720	10,811
2	डीडीजीयूजेवाई, राज्य योजना आदि सहित विभिन्न स्कीमों के तहत पहले से ही पृथक किए गए फीडर	49,601	6,099
3	आरडीएसएस के तहत पृथक्करण के लिए संस्वीकृत शेष फीडर	31,119	4,712
4	अब तक आरडीएसएस के तहत पृथक किए गए फीडर	7,846	2,295

आरडीएसएस के तहत जिला परभणी सहित जिला-वार फीडर पृथक्करण विवरण **अनुबंध** पर संलग्न हैं।

(ङ) : आरडीएसएस के तहत, राज्यों द्वारा पृथक्करण के लिए अभिचिह्नित व्यवहार्य फीडरों की शेष संख्या के अनुसार निधियां आवंटित की गई हैं। फीडर पृथक्करण कार्यों के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रूपये

स्कीम	**अखिल भारत**	**महाराष्ट्र**
आरडीएसएस	40,525	7,010

(च) : आरडीएसएस के तहत, भारत सरकार पीएम-जनमन (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत अभिचिह्नित विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। महाराष्ट्र राज्य के लिए 8,556 घरों सहित पीवीटीजी से संबंधित 1,27,987 घरों को ऑन-ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 521 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2025

अनुबंध

क्रम सं.	जिला	आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत फीडर की संख्या	आरडीएसएस के तहत पृथक किए गए फीडर की संख्या
1	अहमदनगर	136	235
2	अकोला	107	48
3	अमरावती	69	23
4	औरंगाबाद	327	130
5	बीड	367	227
6	भंडारा	40	14
7	बुलढाना	56	41
8	चंद्रपुर	117	35
9	धुले	50	23
10	गडचिरोली	104	24
11	गोंदिया	99	30
12	हिंगोली	101	30
13	जलगांव	171	64
14	जलना	221	67
15	कोल्हापुर	7	6
16	लातूर	393	174
17	नागपुर	217	71
18	नांदेड़	319	88
19	नंदुरबार	33	9
20	नासिक	570	419
21	उस्मानाबाद	223	44
22	पालघर	12	4
23	परभनी	100	49
24	पुणे	277	102
25	रायगढ़	2	-
26	रत्नागिरि	6	2
27	सांगली	10	30
28	सतारा	54	18
29	सिंधुदुर्ग	16	3
30	सोलापुर	201	179
31	ठाणे	3	1
32	वर्धा	96	63
33	वाशिम	49	6
34	यवतमाल	159	36
कुल		**4,712**	**2,295**

****